



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 01.07.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को चोरी के बिजली के तार का बण्डल, एक ट्यूबवेल स्टार्टर, बिजली के उपकरण व अन्य सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2024 को वादी श्री संजीव पुत्र इकबाल सिंह निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के ग्राम के ही रहने वाले किसानों की ट्यूबवेल से स्टार्टर का तांबे का तार व बिजली के खंभे से तार चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0-49/24 धारा-457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त फैजान पुत्र रहीसुद्धीन निवासी ग्राम तौफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी/लूट आदि घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान पुत्र रहीसुद्धीन निवासी ग्राम तौफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को बिजली के तार का एक बण्डल व एक प्लास्टिक के सफेद बोरे में ट्यूबवेल का एक स्टार्टर व स्टार्टर के 05 कवर (बॉडी), बिजली का एक स्विच बॉक्स, एक सरिये का टुकड़ा, बिजली का एक टुटा हुआ वोल्टमीटर तथा एक काला पिडू बैग जिसमें दो प्लाश, दो चाबी, महरूम रंग का एक दुपट्टा जिसके एक छोर पर ईट बंधी हुई है, सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई ।

अभियुक्त फैजान उपरोक्त थाना चांदपुर का गैंगस्टर अभियुक्त है जिसके विरुद्ध करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान पुत्र रहीसुद्धीन निवासी ग्राम तौफापुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

बिजली के तार का एक बण्डल, एक प्लास्टिक के सफेद बोरे में ट्यूबवेल का एक स्टार्टर व स्टार्टर के 05 कवर (बॉडी), बिजली का एक स्विच बॉक्स, एक सरिये का टुकड़ा, बिजली का एक टुटा हुआ वोल्टमीटर तथा एक काला पिड्डू बैग जिसमें दो प्लाश, दो चाबी, महरूम रंग का एक दुपट्टा जिसके एक छोर पर ईट बंधी हुई है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 49/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 269/22 धारा 379 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 271/22 धारा 379 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 274/22 धारा 420/411/413/414/34 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 199/21 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 93/12 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0 654/11 धारा 307 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8. मु0अ0सं0 731/11 धारा 392/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
9. मु0अ0सं0 760/11 धारा 392/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 श्री पवनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4. का0 1550 कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 01.07.2024

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 132/2024 धारा 452/509/323/354/506/354D भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त तालिब पुत्र रहीश निवासी ग्राम आलमपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की गयी तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 452/509/323/354/506/354D भादवि बनाम तालिब उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तालिब पुत्र रहीश निवासी ग्राम आलमपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तालिब पुत्र रहीश निवासी ग्राम आलमपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 बिनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 165 पंकज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2367 आनन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 01.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 586/2024 धारा 354/504/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त सैफ पुत्र अतीक निवासी मौ0 काजीपाडा कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की गयी तथा परिजनों के साथ गाली-गलौच की गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 586/2024 धारा 354/504/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम सैफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सैफ पुत्र अतीक निवासी मौ0 काजीपाडा कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सैफ पुत्र अतीक निवासी मौ0 काजीपाडा कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सैफ उपरोक्त-

मु0अ0सं0 25/2024 धारा 147/323/354/452/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 586/2024 धारा 354/504/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 मीर हसन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1041 मैमपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक 01.07.2024

तीन नये कानूनों के लागू होने पर जनपद के समस्त थानों पर किये जा रहे जागरूकता / प्रचार-प्रसार कार्यक्रम के संबंध में ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 01.07.2024 से 03 नये कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के लागू हो जाने के दृष्टिगत जनपद के आमजन तक तीनों कानूनों के संबंध में जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बिजनौर पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थानो पर जनपद के जनप्रतिनिधि, गणमान्य व क्षेत्रीय संध्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर तीनों कानूनो के संबंध में जागरूकता/ प्रचार-प्रसार कार्यक्रम किये जा रहे है ।

आज दिनांक 01.07.2024 को जनपद के जनप्रतिनिधि व पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली शहर परिसर में 03 नये कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 के लागू होने पर क्षेत्रीय संध्रान्त/गणमान्य व्यक्तियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर नये कानूनों के संबंध में जागरूक/प्रचार-प्रसार किया गया । इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, बिजनौर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे ।

आज दिनांक 01.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, नगर द्वारा थाना किरतपुर व अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा थाना चांदपुर परिसर व जनपदीय पुलिस द्वारा अपने थाना परिसर में 03 नये कानूनों के लागू होने पर गोष्ठी आयोजित कर जागरूकता/प्रचार-प्रसार कार्यक्रम किया गया ।







थाना किरतपुर





थाना चांदपुर



थाना बदापुर



थाना नगीना देहात



थाना शेरकोट



थाना नूरपुर



थाना मंडावली



थाना शिवालाकलां



थाना स्योहारा



थाना धामपुर



थाना नांगल



थाना अफजलगढ़



थाना नजीबाबाद



थाना नगीना



थाना नहतौर





जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 01.07.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 04 सदस्यों को चोरी की 08 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी/लूट आदि घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुण्डा बलदान के पास से 04 अभियुक्तगण 1. अनंत राठी उर्फ देशी पुत्र मनोज राठी निवासी ग्राम बिराल थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर, 2.अमन यादव उर्फ शेरा पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम



खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 3.रितिक यादव पुत्र छत्रपाल यादव निवासी ग्राम धूधली थाना चाँदपुर बिजनौर व 4.प्रियांशु गुर्जर पुत्र सतीश चौहान निवासी ग्राम खन्दरावली थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 08 बाइक 1. मो0सा0 स्पलेण्डर सिल्वर रंग UP20BP 7755, 2. मो0सा0 सुपर स्पलेण्डर रंग काला रजि0 नं0 UP20AS-9349, 3.मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर रंग सिल्वर रजि0 नं0 UP20BP-7755, 4. मो0सा0 अपाचे रंग लाल व सफेद रजि0 नं0 UP20BP-8412, 5.मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेण्डर रंग काला रजि0 नं0 UP11P-1504, 6.मो0सा0 डिस्कवर रंग रेड ब्लैक (बिना नम्बर प्लेट), 7.मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर रंग काला (बिना नम्बर प्लेट) व 8.मो0सा0 बुलेट रंग काला (बिना नम्बर प्लेट) को बरामद किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान अभियुक्तगण का अन्य साथी अक्षय अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 264/2024 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

बरामद की गई मो0सा0 बुलेट रंग काला (बिना नम्बर प्लेट), इंजन नं0 U3S5COGD049556 व चैसिस नं0 ME3U3S5C1GD420908 के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 379 भादवि, मो0सा0 स्पलेण्डर रंग सिल्वर UP20BP-7755 के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 220/2024 धारा 379 भादवि तथा

मो0सा0 अपाचे रंग सफेद रजि0 नं0 UP20BK-8412 के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 262/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। बरामद की गई अन्य शेष मो0सा0 के संबंध में जानकारी की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम पांचो साथी आसपास के क्षेत्रों में एकान्त में खड़ी बाइक को चोरी करते हैं और चोरी की गई बाइकों की नम्बर प्लेट, इंजन नं0 व चैसिस नम्बर बदल/मिटा देते हैं तथा इन्हे जनपद व आसपास के जनपदो (संभल, बदायूँ आदि) के देहात क्षेत्रों में सस्ते दामों पर भोले-भाले लोगो को बेच देते हैं।

इसके अलावा अभियुक्तों ने बताया कि हम पुलिस द्वारा बरामद की गई बाइक को इकट्टा कर संभल/ बदायूँ बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अनंत राठी उर्फ देशी पुत्र मनोज राठी निवासी ग्राम बिराल थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
2. अमन यादव उर्फ शेरा पुत्र श्रवण यादव निवासी ग्राम खजूरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. रितिक यादव पुत्र छत्रपाल यादव निवासी ग्राम धूधली थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर।
4. प्रियांशु गुर्जर पुत्र सतीश चौहान निवासी ग्राम खन्दरावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी विवरण-

1. मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP20W-4345, चैसिस नं0 MBLHA 10EJAHC16788 व इंजन नं0 HA10EAAHC16862
2. मो0सा0 सुपर स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP20AS-9349, व चैसिस नं0 MBLJA05EMG9B18731 व इंजन नं0 JO5ECG9B14491
3. मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर रंग सिल्वर रजि0 नं0 UP20BP-7755, चैसिस नं0 MBLHAW097KHH73556 व इंजन नं0 HA10AGKHHB9060
4. मो0सा0 अपाचे रंग लाल व सफेद रजि0 नं0 UP20BP-8412, चैसिस नं0 MDG34BE47J2H45824 व इंजन नं0 BE4HJ2644742
5. मो0सा0 हीरो होन्डा स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP11P-1504, चैसिस नं0 05G16C14352 व इंजन नं0 05G15M14282
6. मो0सा0 डिस्कवर रंग रेड व ब्लैक (बिना नम्बर प्लेट), चैसिस नं0 102DSJ2ZZUPB29090 व इंजन नं0 खुर्द-बुर्द कर मिटाया गया है।
7. मो0सा0 हीरो स्पलेन्डर रंग काला (बिना नम्बर प्लेट), चैसिस नं0 MBLHA10HMDHB18040 व इंजन नं0 खुर्द-बुर्द मिटाया गया है।।
8. मो0सा0 बुलेट रंग काला (बिना नम्बर प्लेट), इंजन नं0 U3S5COGD049556 व चैसिस नं0 ME3U3S5C1GD420908

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त अनंत राठी उर्फ देशी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 264/2024 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर।

अभियुक्त अमन यादव उर्फ शेरा उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 48/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 264/2024 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर ।

अभियुक्त रितिक यादव उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 512/2023 धारा 323/336/504/506 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 264/2024 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471/34 भादवि थाना चांदपुर बिजनौर ।

अभियुक्त प्रियांशु गुर्जर उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 137/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 262/2024 धारा 379/411 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 264/2024 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार दीक्षित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
3. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. उ0नि0 प्रशिक्षु श्री गौरव मलिक थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. है0का0 415 भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
6. का0 769 नरेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
7. का0 291 सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
8. का0 546 सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
9. का0 2419 विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
10. का0 11 गौरव तौमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
11. का0 234 अरूण कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
12. का0 2027 विपुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक 01.07.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माह जून – 2024 में मा0 न्यायालय द्वारा 34 अभियोगों में 46 अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप **माह जून – 2024** में जनपद बिजनौर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 34 अभियोगों में 46 अभियुक्तों को दण्डित किया गया, जिसमें से **03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** विवरण निम्नवत है।

दिनांक 01.06.2024 से दिनांक 30.06.2024 तक दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण -

क्र0 सं0	थाना	मु0अ0सं0	धारा	सजा का दिनांक	अपराध	सजा का विवरण	अभि0 की सं0
1	नूरपुर	39/18	279/328/427 भादवि	03.06.24	अन्य	मा0 न्याया0 उठने तक की सजा व 2500/- रु0 अर्थदण्ड	1
2	बढापुर	202/17	11 पशु कुरता अधि0	04.06.24	अन्य	मा0 न्याया0 उठने तक की सजा व 50/-रु0 अर्थदण्ड	1
3	मंडावली	151/18	354क/506 भादवि व 10 पॉक्सो	04.06.24	पॉक्सो	05 वर्ष कारावास व 55,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
4	धामपुर	165/17	414/413/411 भादवि	05.06.24	अन्य	03 वर्ष कारावास व 5000/-रु0 जुर्माना	1
5	धामपुर	164/17	25 आर्म्स एक्ट	05.06.24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
6	स्योहारा	286/20	323/377/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट	06.06.24	पोकसो	10 वर्ष कारावास व 11,500/- रु0 अर्थदण्ड	1

7	धामपुर	245/23	08/22 एनडीपीएस एक्ट	06.06.24	जघन्य	01 वर्ष कारावास व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
8	मंडावली	10/15	323/504 भादवि	06.06.24	अन्य	प्रत्येक को मा0 न्याया0 उठने तक की सजा व प्रत्येक को 1,500/-रु0 अर्थदण्ड	2
9	मंडावली	257/12	279/427 भादवि	06.06.24	अन्य	मा0न्याया0 उठने तक की सजा व 1,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
10	नजीबाबाद	161/18	5/9(बी) विस्फोटक अधि0	06.06.24	अन्य	मा0न्याया0 उठने तक की सजा व 5,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
11	नजीबाबाद	281/16	5(1)/9(बी) विस्फोटक अधि0	06.06.24	अन्य	मा0न्याया0 उठने तक की सजा व 3,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
12	किरतपुर	155/23	376/511 भादवि व 10 पॉक्सो एक्ट	07.06.24	पोकसो	06 वर्ष कारावास व 25,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
13	को0देहात	98/22	3(1)गैंगस्टर एक्ट	14.06.24	अन्य	02 वर्ष कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड	1
14	नजीबाबाद	251/23	302/34/201 /506 भादवि	15.06.24	जघन्य	प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रु0 अर्थदण्ड	2
15	मण्डावली	187/11	147/148/307/ 149/323/149/ 324/149/506 भादवि	15.06.24	जघन्य	प्रत्येक को 02 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 5500/-रु0 अर्थदण्ड	9
16	को0शहर	1138/18	18/20 एनडीपीएस एक्ट	18.06.24	जघन्य	01 वर्ष 15 दिवस कारावास व 1500/-रु0 अर्थदण्ड	1
17	को0शहर	890/19	8/20 एनडीपीएस एक्ट	18.06.24	जघन्य	01 वर्ष 15 दिवस कारावास व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1
18	नगीना देहात	146/2001	25 आर्म्स एक्ट	18.06.24	अन्य	जेल में बितायी अवधि व 500/-रु0 अर्थदण्ड	1
19	नगीना देहात	145/1996	379/411 भादवि व 4/10 वन अधि0	18.06.24	अन्य	प्रत्येक को जेल में बितायी अवधि व 1000-1000/- रु0 अर्थदण्ड	3
20	नजीबाबाद	437/19	8बी/22 एनडीपीएस एक्ट	19.06.24	जघन्य	01 वर्ष 06 माह कारावास व 2000/-रु0 अर्थदण्ड	1

21	किरतपुर	413/23	08/20 एनडीपीएस एक्ट	20.06.24	जघन्य	01 वर्ष कारावास व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
22	स्योहारा	184/22	08/22 एनडीपीएस एक्ट	20.06.24	जघन्य	01 वर्ष कारावास व 2,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
23	मंडावर	273/21	302 भादवि	21.06.24	जघन्य	आजीवन कारावास व 10,000/-रु0 अर्थदण्ड	1
24	नूरपुर	601/17	302 भादवि	26.06.24	जघन्य	5 वर्ष कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
25	नूरपुर	602/17	3/25 आम्सर्स एक्ट	26.06.24	अन्य	2 वर्ष कारावास व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
26	नूरपुर	260	3(1) गैगस्टर एक्ट	27.06.24	अन्य	2 वर्ष कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड	1
27	नजीबाबाद	186/24	4/25 आम्सर्स एक्ट	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
28	हल्दौर	92/24	3/25 आम्सर्स एक्ट	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
29	नजीबाबाद	55/18	4/25 आम्सर्स एक्ट	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
30	अफजलगढ	250/23	379/411 भादवि	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
31	नूरपुर	87/24	3/25 आम्सर्स एक्ट	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
32	किरतपुर	45/24	4/25 आम्सर्स एक्ट	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
33	स्योहारा	405/23	380/411 भादवि	28.06.24	अन्य	जेल मे बितायी अवधि की सजा व 1,000/- अर्थदण्ड	1
34	चांदपुर	805/10	3(1) गैगस्टर एक्ट	29.06.24	अन्य	2 वर्ष कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड	1



BIJNORPOLICE



महिला थाना व परिवार परामर्श केन्द्र

माह जून – 2024

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन में महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) व महिला परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा वैचारिक मतभेद की वजह से टूटने वाले परिवार के विवादों को निरन्तर सुना जा रहा है। इन विवादों में पुलिस अधिकारी व विभिन्न क्षेत्रों से नामित सदस्यों की ओर से दोनों पक्षों की बातों को विधिवत सुना जाता है तथा सूझ-बूझ से पति-पत्नी के मध्य आपसी मनमुटाव व कलह को दूर करते हुए परिवारों को बिखरने से बचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

माह जून – 2024 में महिला परामर्श केन्द्र व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) को प्राप्त शिकायतों में परिवार को एकजुट करने की दिशा में महिला परामर्श केन्द्र द्वारा 52 परिवारों व महिला थाना (बिजनौर/चांदपुर) द्वारा 108 परिवारों (कुल – 160) के विवादों का निस्तारण किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए रवाना किया गया।



